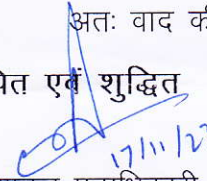
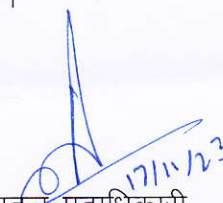


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

एल0 ई0 वाद सं0-01/2017-18

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
17/11/2023	आदेश प्रस्तुत एल0 ई0 वाद सं0-01/2017-18 (प्रफुल्ल चन्द्र सिंह—बनाम—नन्द किशोर सिंह) आवेदक—प्रफुल्ल चन्द्र सिंह, पिता—स्व० ज्योतिन्द्र नाथ सिंह, साकिन—पहरीडीह, अंचल—सारठ, जिला—देवघर के द्वारा मौजा—पहरीडीह, थाना नम्बर—190, जमाबंदी नम्बर—01, दाग नम्बर—55 के अंश रकवा—04 डी0 प्रधानी जोत जमीन से विपक्षी—नन्द किशोर सिंह को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 2. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण—पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, सारठ से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, सारठ के पत्रांक—248/रा0, दिनांक—17.03.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। आवेदक—प्रफुल्ल चन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन के आलोक में प्रसन्न कुमार सिंह का नाम अंकित किया गया। 3. अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा—पहरीडीह, थाना नम्बर—190, जमाबंदी नम्बर—01, कुल रकवा—22.31 एकड़, किरम—प्रधानी जोत कहकर सर्वे खतियान में प्रधान कपिल सिंह वल्द कंठी सिंह के नाम से दर्ज है। आवेदक एवं विपक्षी खतियानी प्रधान स्व0 कपिल सिंह के वारिसान है। उक्त प्रधानी जोत जमीन पर पूर्व प्रधान स्व0 ज्योतिन्द्र नाथ सिंह द्वारा ही पक्का मकान एवं आंगन बनाकर संयुक्त परिवार के रूप में बसोवास करते आ रहे है। 4. विपक्षी का कहना है कि उक्त वाद Maintainable नहीं है, चूंकि इस जमीन से संबंधित पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा आर0एम0 वाद संख्या—107/1993-94 (प्रफुल्ल चन्द्र सिंह—बनाम—पवन कुमार सिंह) में दिनांक—18.04.2001 को पारित आदेश में आवेदक का आवेदन रद्द कर वाद की कार्यवाही समाप्त की गई थी। 5. स्पष्ट है कि उक्त भूमि से संबंधित मामले में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। पुनः उसी भूमि से संबंधित मामले में इस न्यायालय में कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	<i>उक्त गणेश नोटिस for petition 19-12-23</i>